कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
ओल्ड सेंट स्टीफंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट,
नई दिल्ली – 110006

*****

चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त स्वतंत्र केंद्रीय पर्यवेक्षकों, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की उपस्थिति में आज 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनाव दस्तावेजों की जांच की गई

जांच के दौरान किसी भी उम्मीदवार से कोई शिकायत नहीं मिली

दिल्ली चुनाव में पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी

नई दिल्ली दिनांक: 6 फ़रवरी **2025**

दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुश्री आर. एलिस वाज ने आज बताया कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सामान्य पर्यवेक्षकों , उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की उपस्थिति में फॉर्म 17C, पीठासीन अधिकारियों की डायरी आदि सहित चुनाव दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई है।

सुश्री वाज़ ने कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज सही क्रम में पाए गए। पर्यवेक्षकों, उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की।

श्रीमती वाज ने बताया कि मतदान के दिन पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी , क्योंकि जांच के दौरान किसी भी उम्मीदवार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उन्होंने आगे बताया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। दिल्ली में 19 स्थानों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। सुश्री एलिस वाज ने आगे बताया कि मतदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इन उपायों में शामिल हैं:

1. चौबीस घंटे तीन-स्तरीय सुरक्षा की तैनाती , जिसमें सबसे भीतरी परिधि की सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ) और सबसे बाहरी परिधि की सुरक्षा राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा की जाएगी। स्ट्रांग रूम और गलियारों के सीलबंद दरवाजों की 24x7 सीसीटीवी कैमरा कवरेज , निरंतर निगरानी के साथ।
2. स्ट्रांग रूम में एक ही प्रवेश/निकास बिंदु।
3. डबल लॉक सिस्टम।
4. स्ट्रांग रूम के खुलने और बंद होने के दौरान अनिवार्य वीडियोग्राफी।
5. अधिकृत अधिकारियों (सामान्य पर्यवेक्षक, डीईओ या डीसीपी) के दौरों की वीडियोग्राफी के तहत रिकॉर्डिंग के लिए लॉगबुक का रखरखाव।

6. स्ट्रांग रूम के समीप एक संचालन नियंत्रण कक्ष।
7. वीआईपी और अधिकारियों सहित किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित।

सीईओ ने आगे बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के एजेंटों/प्रतिनिधियों को सीसीटीवी फीड के माध्यम से चौबीसों घंटे इन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से निगरानी करने की अनुमति है। स्ट्रांग रूम के स्थानों पर उनके आरामदायक रहने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है , जहाँ सीसीटीवी फीड मॉनिटर पर प्रदर्शित होते हैं। उन्हें सुरक्षा उपायों का निरीक्षण करने , सत्यापित करने और आश्वस्त होने के लिए समय-समय पर बैचों में आंतरिक परिधि तक पहुँच की अनुमति भी दी जाती है।

सुचारू और निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना पर्यवेक्षकों , मतगणना सहायकों, माइक्रो ऑब्जर्वर , सांख्यिकी कर्मचारियों और अन्य सहायक कर्मियों सहित लगभग 5,000 कर्मचारियों को मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात और प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपीएटी की मतदाता पर्ची की गिनती यादृच्छिक (रैंडम) रूप से की जाएगी।

वास्तविक समय (रियल टाइम) के परिणाम ईसीआई की वेबसाइट https://results.eci.gov.in/ से प्राप्त किए जा सकते हैं।

कांचन आज़ाद
विशेष कार्य अधिकारी (मीडिया)